केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, रायपुर कैम्पस
सेक्टर -4 दीनदयाल उपाध्याय नगर
रायपुर, छत्तीसगढ़ -492010

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan
[Ministry of Education, Govt. of India]
Regional Office, Raipur
Kendriya Vidyalaya. No.2, Raipur Campus
Sec-4, Dindayal Upadhyay Nagar
Raipur, Chhattisgarh-492010

Website: https://roraipur.kvs.gov.in/, ✉:- acad.roraipur@kvs.gov.in ✆ : - 0771-2262912

फ़ा क्र 320-331/के वि सं (क्षे का)/ रायपुर /प्रवेश /2026-27/ 20344-20352 दिनांक :-18.11.2026

प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय,
जगदलपुर, डोगरगढ, दुर्ग, बिलासपुर, नया रायपुर,
महासमुंद, रायपुर न 02, किरंदुल, कोरबा नं 03

विषय:- केन्द्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यालय में प्रवेश के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक लेख है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा निर्देश 2026-27 के नियमानुसार निम्न छात्रों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये विद्यालय में प्रवेश की स्वीकृति/ अस्वीकृत प्रदान की जाती है जिसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है।

SN	Name of Student	Class	From KV	To KV	Remark
1	Sarvin Sharma	VIII	KV Jagdalpur	KV Naya Raipur	स्वीकृत
2	Sanvi S. Panchbhiye	VI	KV Dongargarh	KV Durg	अस्वीकृत
3	Tushar S.Panchbhiye	II	KV Dongargarh	KV Durg	अस्वीकृत
4	Milind Sinha	IV	KV Durg	KV Bilaspur	स्वीकृत
5	Shailee Verma	VI	KV Mahasmund	No 02 Raipur	अस्वीकृत
6	Kavya Verma	X	KV Mahasmund	No 02 Raipur	अस्वीकृत
7	Ananya Sinha	II	KV 1 Firozpur	KV Durg	अस्वीकृत
8	Tejashri Sinha	BV3	KV 1 Firozpur	KV Durg	अस्वीकृत
9	Khushvi Katre	VI	KV No 3 Korba	KV Durg	स्वीकृत
10	Navya Rathore	VIII	KV Kirandul	KV Durg	स्वीकृत

प्रकरण क्रमांक 02, 03, 05, & 06 Sanvi S. Panchbhiye कक्षा VI, Tushar S.Panchbhiye कक्षा II , Shailee Verma कक्षा VI, Kavya Verma कक्षा X में माता- पिता का स्थानांतरण न होने एवं कक्षा में नामांकन अधिक होने के कारण विचारणीय नहीं है।

प्रकरण क्रमांक 07 & 08 Ananya Sinha कक्षा II एवं Tejashri Sinha कक्षा BV3 में गैर पारिवारिक स्टेशन पर स्थानांतरण दर्शाया गया है, परंतु Non – Family Station Certificate संलग्न नहीं होने के कारण विचारणीय नहीं है।

यह पत्र समक्ष अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जाता है।

भवदीय,

18/11/2026

(विवेक कुमार चौहान)
सहायक आयुक्त